आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

बजट 2018-19 की मुख्य बातें

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

- वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद के पटल पर आम बजट 2018-19 प्रस्तुत किया।
- आम बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों को मजबूत करने के मिशन पर फोकस।
- सरकार ने कहा, अनेक ढांचागत सुधारों की बदौलत भारत भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओँ में शुभार हो जाएगा। विनिर्माण, सेवा और निर्यात क्षेत्रों में विकास के पटरी पर वापस आ जाने से भारत अब 8 प्रतिशत से भी अधिक की आर्थिक विकास दर हासिल करने की दिशा में मजबूती से अग्रसर हो गया है।
- अधिकतर रबी फसलों की ही तरह सभी अघोषित खरीफ फसलों की एमएसपी उनकी उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगी; कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण वर्ष 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये।
- 86 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित एवं उन्नत किया जाएगा।
- किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन्स' लांच किया गया।
- मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष की घोषणा; पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1,290 करोड़ रुपये का आवंटन।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली ऋण राशि को पिछले साल के 42,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 75,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- निम्न एवं मध्यम वर्ग को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, बिजली और शौचालय सुलभ कराने हेतु उज्ज्वला, सौभाग्य और स्वच्छ मिशन के लिए अधिक लक्ष्य तय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण के लिए परिव्यय 1.38 लाख करोड़ रुपये होगा। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 तक हर जनजातीय ब्लॉक में एकलव्य आवासीय स्कूल होगा। अनुसूचित जातियों के लोगों से जुड़े कल्याण कोष को बढ़ावा मिला।
- द्वितीयक एवं तृतीयक इलाज के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की सीमा के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई है, जिसके दायरे में 10 करोड़ से भी अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों को लाया जाएगा।
- राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तय किया गया, यह 2018-19 में 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के लिए 5.97 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
- 10 प्रमुख स्थलों को प्रतीक पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा।
- रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इत्यादि पर उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- विनिवेश 72,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर 1,00,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा।
- पीली धातु को एक परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक स्वर्ण नीति बनाने की तैयारी।
- 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्राप्त लाभ पर 2018-19 से लेकर पांच वर्षों तक 100 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव।
- धारा 80-जेजेएए के तहत नए कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले कुल वेतन पर 30 प्रतिशत कटौती में ढील देकर इसे फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग के लिए 150 दिन किया जाएगा, ताकि ज्यादा रोजगार सृजित हो सके।
- ऐसी अचल संपत्ति में लेन-देन के संबंध में कोई समायोजन नहीं होगा जिसमें सर्किल रेट मूल्य कुल राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 50 करोड़ रुपये से कम के कारोबार (वित्त वर्ष 2015-16 में) वाली कंपनियों के लिए फिलहाल उपलब्ध 25 प्रतिशत की घटी हुई दर का लाभ वित्त वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार की जानकारी देने वाली कंपनियों को भी देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लाभान्वित हो सकें।

- परिवहन भत्ते के लिए मौजूदा छूट और विविध चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के स्थान पर 40,000 रुपये की मानक कटौती। इससे 2.5 करोड़ नौकरीपेशा कर्मचारी एवं पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
- वरिष्ठ नागरिकों को प्रस्तावित राहत :
    - बैंकों और डाकघरों में जमाराशियों पर ब्याज आमदनी संबंधी छूट 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी।
    - धारा 194ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं। सभी सावधि जमा योजनाओं और आवर्ती जमा योजनाओं के तहत प्राप्त ब्याज पर भी लाभ मिलेगा।
    - धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और / अथवा चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।
    - धारा 80डीडीबी के तहत कुछ विशेष गंभीर बीमारियों पर चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा 60,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) और 80,000 रुपये (अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये कर दी गई है।
    - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। वर्तमान निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में अवस्थित स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार को बढ़ावा देने हेतु आईएफएससी के लिए और अधिक रियायतें।
- कैश इकॉनोमी को नियंत्रण में रखने के लिए ट्रस्टों और संस्थानों को 10,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी और इस पर टैक्स लगेगा।
- 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा जिसमें कोई भी सूचीकरण लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, 31 जनवरी, 2018 तक हुए सभी लाभ को संरक्षित किया जाएगा।
- इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव।
- व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेशन टैक्स पर देय उपकर को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

- प्रत्यक्ष कर संग्रह में और अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपसी संपर्क लगभग पूरी तरह समाप्त करने के लिए देश भर में ई-निर्धारण शुरू करने का प्रस्ताव।
- देश में और ज्यादा रोजगारों के सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों के कलपुर्जों, फुटवियर और फर्नीचर में 'मेक इन इंडिया' तथा घरेलू मूल्य वर्द्धन को भी प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क में फेरबदल करने का प्रस्ताव।

****

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

आम बजट 2018-19 की झलकियां

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि सरकार विनिर्माण सेवाओं और निर्यातों के क्षेत्र में आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है। 2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आने के संकेत दिए थे। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की आशा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था ने बुनियादी सुधारों के साथ उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने हाल की अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि आगामी वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि देश आठ प्रतिशत से अधिक की उच्च विकास दर को प्राप्त करने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में भी विकास तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए आठ प्रतिशत से अधिक की उच्च दर से वृद्धि कर रहा है। वर्ष 2017-18 में निर्यात में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

श्री जेटली ने कहा कि चार वर्ष पूर्व सरकार ने भारत के लोगों को एक ईमानदार, स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देने का वचन दिया था और एक ऐसे नेतृत्व का वादा किया था जो कठिन निर्णयों को कम करने में और भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास को बहाल करने में सक्षम हो। श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अनेक बुनियादी संरचनात्मक सुधारों को न सिर्फ कार्यान्वित किया बल्कि देश में गरीबी को कम करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन में गति लाने और एक मजबूत आत्मविश्वास से परिपूर्ण नवभारत देना का वचन दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के किसानों, गरीब वर्ग के लोगों और समाज के अन्य तबकों के संरचनात्मक बदलाव एवं अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर के लाभ को उन तक पहुंचाने तथा देश के अल्प विकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में विशेषकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने,

आधारभूत सुविधाओं के सृजन तथा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने पर विशेष रूप से जोर दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वैद्य लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने को भी सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र विश्व का एक सबसे बड़ा संचालन और एक वैश्विक स्तर पर सफलता की गाथा भी है।

<u>कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था</u>

वित्त मंत्री ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार की वचनबद्धता का उल्लेख करते हुए अनेक नई योजनाओं और उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी खरीफ से सभी अघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुणा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुणा तय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि की है और यह राशि वर्ष 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपए कर दी गई। वित्त मंत्री ने वर्ष 2018-19 में इस राशि को 11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया।

श्री जेटली ने डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिए सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष तथा पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा विकास कोष स्थापित करने की घोषणा की। इन दोनों कोषों की कुल स्थाई निधि 10 हजार करोड़ रुपए होगी।

श्री जेटली ने कहा कि ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स प्रारंभ करने का सरकार का प्रस्ताव है। इसके प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। उन्होंने कहा कि 86 प्रतिशत से ज्यादा लघु और सीमांत किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए मौजूदा 22 हजार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत किया जाएगा। श्री जेटली ने कहा कि 22 हजार ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास के लिए दो हजार करोड़ रुपए की स्थाई निधि से एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष ई-नैम को सुदृढ करने और इसे 585 एपीएमसी तक पहुंचाने के संबंध में घोषणा की गई थी। इनमें से 470 को ई-नैम नेटवर्क से जोर दिया गया है शेष को 2018 तक जोड़ दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने संगठित कृषि एवं संबद्ध उद्योग को सहायता के प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि बांस हरित सोना है। उन्होंने इस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को शुरू करने का प्रस्ताव दिया।

वित्त मंत्री ने कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना को देखते हुए 42 मेगाफूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकारों के प्रयासों को सहायता देने की एक विशेष योजना की भी घोषणा की।

वित्त मंत्री ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपए किया था। 2019 तक यह ऋण राशि बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपए कर दी जाएगी। 2018-19 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के लिए 5750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया।

निम्न और मध्यम वर्ग के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उज्जवला योजना के अंतर्गत आठ करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। सोभाग्य योजना के अंतर्गत 16 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय से 4 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जा रहे है। 2022 तक सभी को आवास का लक्ष्य पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक एक करोड़ से ज्यादा आवासों का निर्माण किया जाएगा इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत छह करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

वित्त मंत्री ने कहा कि 2018-19 के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बजटीय व्ययों का अनुमान 2017-18 के 1.22 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 1.38 लाख करोड़ रुपए है।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा 50 प्रतिशत से ज्यादा की अनुसूचित जनजाति आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की घोषणा की।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यांवित कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए वर्ष 2018-19 में 9975 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुन: मजबूत बनाने के लिए अगले चार वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता पहल के तहत श्रेष्ठ संस्थानों से हर वर्ष एक हजार उत्कृष्ट बीटैक छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें आईआईटी, आईआईएससी में पीएचडी करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

वित्त मंत्री ने 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को दायरे में लाने के लिए एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की जिसके तहत द्वितीयक और

तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष कवरेज प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की परिकल्पना के अनुसार 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को घर तक पहुचाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

गंगा स्वच्छता के मामले में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 16,713 करोड़ रुपए की लागत से कुल 187 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 4465 ग्रामों को खुले मे शौच से मुक्त घोषित कर दिया है।

मध्यम लघु तथा सूक्ष्म उद्यम् एवं रोजगार

मध्यम लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में 3794 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत 10.38 करोड़ रुपए के मुद्रा लोन दिए गए। इनमें से 76 प्रतिशत ऋण खाते महिलाओं के जबकि 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। 2018-19 के लिए मुद्रा के अंतर्गत तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है।

रोजगार सृजन

रोजगार सृजन की प्राथमिकता सरकार की नीतियों में प्रमुख रूप से शामिल हैं वित्त मंत्री ने एक स्वतंत्र अध्ययन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष 70 लाख औपचारिक रोजगारों का सृजन किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार सृजन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी क्षेत्रों के लिए ईपीएफ में नए कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत का योगदान करेगी।
2018-19 में टैक्सटाइल क्षेत्र में 7148 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रसताव है।

बुनियादी ढांचा और वितीय क्षेत्र विकास

वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांच के विकास को अर्थव्यवथा का प्रमुख आधार बताते हुए अनुमान लगाया कि सकल घरेलू उत्पाद में वद्धि और समूचे देश को एक नेटवर्क में जोड़ने के लिए 50 लाख करोड़

रुपए की आवश्यकता है। उन्होंने 2018-19 में बुनियादी ढांचे पर 5.97 लाख करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नियमित तौर पर प्रगति के माध्यम से बुनियादी क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा की है और इसके तहत 9.46 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत करीब 35 हजार किलोमीटर सड़क के निर्माण को चरण एक में अनुमति दी जा चुकी है और इसकी अनुमानित लागत 5,35,000 करोड़ रुपए है।

रेलवे

वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे का पूंजीगत व्यय 1,48,528 करोड़ रुपए रहा है। 2017-18 के दौरान चार हजार किलोमीटर का विद्युत रेलवे नेटवर्क प्रारंभ हो चुका है। मुंबई का स्थानीय रेल नेटवर्क 11 हजार करोड़ रुपए की लागत से दोहरी लाइनों के साथ 90 किलोमीटर होगा। इसके अलावा 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 150 किलोमीटर का उप शहरी नेटवर्क योजानवित किया जा रहा है।

हवाई परिवहन

एक नवीन पहल नाभ निर्माण के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक बिलियन आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए हवाई अड्डा क्षमता में पांच गुणा विस्तार करने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने पिछले वर्ष प्रारंभ की गई उड़ान नामक क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत 56 हवाई अड्डों और 31 हैलीपैडों को पुन: जोड़ा जाएगा जिनमें अभी सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही है।

वित्त

बांड बाजार से कोषों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने नियामकों से निवेश वैद्यता के लिए एए से ए रेटिंग की ओर बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में सभी वित्तीय सेवाओं को नियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा कि नीति आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रोबोर्टिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उत्पादन, डाटा विश्लेषण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक मिशन की शुरूआत करेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट-2018-19 में धन राशि आबंटन को दोगुना करके 3073 करोड़ रुपए किया गया है।

5 करोड़ ग्रामीणों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए सरकार 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट का निर्माण करेगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि का आबंटन किया है।

रक्षा

वित्त मंत्री ने दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे के विकास का प्रस्ताव दिया है।

विनिवेश

वित्त मंत्री ने कहा कि 2017-18 के लिए विनिवेश के लक्ष्य 72500 करोड़ रुपए से बढ़कर एक लाख रुपए होने की संभावना है। उन्होंने 2018-19 के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाईटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ऑरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – का विलय करके एक बीमा कंपनी बनाई जाएगी।

सोने के परिसंपत्ति मूल्य में वृद्धि करने के लिए सरकार एक समेकित स्वर्ण नीति का निर्माण करेगी। देश में स्वर्ण विनिमय को व्यापार और उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिए सरकार एक प्रणाली विकसित करेगी। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के स्वर्ण जमा योजना के खाते खुलवा सकें।

बजट में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए और राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए प्रति महीने करने का प्रस्ताव किया गया है।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

वित्तीय प्रबंधन

बजट में परिव्यय का संशोधित अनुमान 2017-18 के लिए 21.57 लाख करोड़ रुपए है, जबकि बजट का आकलन 21.47 लाख करोड़ रुपए का था।

वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिए बजट घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया। संशोधित वित्तीय घाटे का अनुमान वर्ष 2017-18 के लिए 5.95 लाख करोड़ रुपए का है, जो जीडीपी 3.5 प्रतिशत है।

प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने तथा कर दायरा बढ़ाने से फायदा हुआ है। प्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर 2016-17 में 12.6 प्रतिशत और 2017-18 में 18.7 प्रतिशत रही है।

कर दाताओं की संख्या जो 2014-15 में 6.47 करोड़ थी, बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गई है।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए परिधान उद्योग में धारा 80 जेजेएए के अंतर्गत दी जाने वाली 30 प्रतिशत की कटौती को चमड़े तथा जूते उद्योग में भी लागू किया जाएगा।

कॉरपोरेट टैक्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने के प्रयास के तहत 250 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाले कंपनियों को 25 प्रतिशत के कर दायरे में रखा गया है। इससे 99 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। इससे वित्त वर्ष 2018-19 में 7,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

आयकर प्रदाताओं के लिए वर्तमान में परिवहन भत्ते तथा अन्य चिकित्सा व्यय की परिपूर्ति के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों को बढ़े दर पर मिलने वाला परिवहन भत्ता आगे भी जारी रहेगा। इससे 2.5 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

<u>वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत</u>

बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय में छूट 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई है तथा आयकर धारा 194 ए के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। यह लाभ सावधि जमा योजनाओं तथा आवर्ती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए भी उपलब्ध होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि धारा 80 डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या किसी चिकित्सा के संदर्भ में 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।

वित्त मंत्री ने धारा 80डीडीबी के अंतर्गत गंभीर बीमारी से संदर्भ में चिकित्सा खर्च के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60 हजार रुपए से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80 हजार रुपए से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख रुपए का प्रस्ताव किया।

इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।

टैक्स रियायतों के अतिरिक्त वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 8 प्रतिशत निश्चित प्रतिलाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपए की मौजूदा निवेश सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में स्थित स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से आईएफएससी के लिए दो अन्य रियायतों का प्रस्ताव है। अनिवासी भारतीयों द्वारा डेरिवेटिव और कुछ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ में रियायत की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय

सेवा केन्द्र में कार्य करने वाले गैर-कॉरपोरेट कर प्रदाताओं पर 9 प्रतिशत का वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) लगेगा, जो कॉरपोरेट पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के समान होगा।

दीर्घावधिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी)

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए सूचीबद्ध शेयरों और यूनिटों से छूट प्राप्त पूंजी लाभ की राशि लगभग 3,67,000 करोड़ रुपए है। श्री जेटली ने कहा कि मैं एक लाख रुपए से अधिक के ऐसे दीर्घावधिक पूंजी लाभों पर किसी सूचकांक के बिना 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तथा ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए बजट में व्यक्तिगत आयकर तथा निगम कर पर 4 प्रतिशत अधिशेष की व्यवस्था की गई है। नये अधिशेष को स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर के नाम से जाना जाएगा।

प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए 2016 में प्रयोग के आधार पर ई-निर्धारण प्रारंभ किया गया था। 2017 में इसका विस्तार 102 नगरों में किया गया है।

अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में वस्तु और सेवा कर लागू होने के पश्चात यह पहला बजट है। बजट के प्रावधान सीमा शुल्क के संबंध में है। सीमा शुल्क में बदलाव से देश में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तथा खाद्य प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों का पुर्जा निर्माण, जूते तथा फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा मोबाइल व टीवी के कलपुर्जों के लिए सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

काजू प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे काजू पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

आयातित वस्तुओं पर लगने वाले शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके स्थान पर आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर से एक सामाजिक कल्याण उपकर लगाया जाएगा। जिन आयातित वस्तुओं को शिक्षा उपकर से छूट मिली हुई है, वह जारी रहेगी।

जीएसटी लागू होने के पश्चात केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड-सीबीईसी का नाम बदलकर केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड करने का प्रस्ताव किया गया है।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-00

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) रखा जाएगा

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किए जाने के साथ ही केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए घोषणा की कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) रखा जाएगा। श्री जेटली ने कहा कि इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव वित्त विधेयक में प्रस्तावित किए गए हैं।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-01

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

इलेक्ट्रॉनिक मोड में आकलन के लिए एक नई योजना अधिसूचित करने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

****

कई वर्षों से चली आ रही आकलन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव के लिए देश भर में ई-आकलन की शुरुआत की जाएगी

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

आज संसद में पेश किए गए आम बजट 2018-19 में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आकलन के लिए एक नई योजना अधिसूचित करने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया। श्री जेटली ने कहा कि आकलन इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा, जिससे संबंधित लोगों के बीच सम्पर्क की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाएगी तथा इसके परिणामस्वरूप और ज्यादा दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ई-आकलन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2016 में प्रायोगिक आधार पर हुई थी। वर्ष 2017 में इसका विस्तार 102 शहरों में किया गया, जिसका उद्देश्य आयकर विभाग और करदाताओं के बीच आपसी सम्पर्क को कम करना था। श्री जेटली ने कहा, “अब तक इस संबंध में हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम अब देश भर में ई-आकलन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई वर्षों से चली आ रही आयकर विभाग की आकलन प्रक्रिया के साथ-साथ करदाताओँ और अन्य हितधारकों के साथ उनके आपसी सम्पर्क के तौर-तरीकों में भी व्यापक बदलाव आएगा”।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-02

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

व्यापार में आसानी के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

विदेश व्यापार में आसानी लाने के लक्ष्य के अंतर्गत तथा व्यापार सुविधा समझौते के कुछ प्रावधानों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में कुछ संशोधनों की घोषणा की।

श्री जेटली ने कहा कि आपसी विवाद समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा विवादों की संख्या में कमी लाने के लिए इन संशोधनों में नोटिस देने के पहले परस्पर बातचीत, निर्णय के लिए निश्चित समयावधि और तय अवधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर विवाद को समाप्त समझा जाएगा, जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-03

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

रक्षा क्षेत्र को बजटीय सहयोग सरकार की प्राथमिकता

****

दो रक्षा औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे

***

सरकार औद्योगिक अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति 2018 लाएगी

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

रक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में रक्षा बलों के आधुनिकीकरण और कार्य क्षमताओं में वृद्धि पर सरकार का जोर रहा है। वित्त मंत्री ने देश की सीमाओं पर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने और जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में सैन्य बलों की भूमिका कि प्रशंसा की।

वित्त मंत्री ने बताया कि देश में रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं, ताकि रक्षा जरूरतों के मामले में देश आत्मनिर्भर बन सके।

श्री अरुण जेटली ने कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने के साथ-साथ निजी निवेश के लिए द्वार खोल दिए गए है। सरकार देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारों के विकास के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक उद्योगों के अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति 2018 लेकर आएगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों द्वारा घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-05

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

घरेलू मूल्य वर्द्धन एवं 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल फोन और टीवी के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया

****

इस कदम से और ज्यादा रोजगारों के सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा

****

कच्चे काजू पर सीमा शुल्क घटाकर आधा किया गया

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किए जाने के बाद पेश किए गए प्रथम आम बजट 2018-19 में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने पिछले दो दशकों की अंतर्निहित नीति से कुछ अलग हटकर कदम उठाया है। इस नीति के तहत आम तौर पर सीमा शुल्क में कटौती की जाती थी। वहीं, आज यहां संसद में पेश किए गए आम बजट 2018-19 में श्री जेटली ने यह स्वीकार किया कि कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कलपुर्जो, फुटवियर और फर्नीचर में घरेलू मूल्य वर्द्धन की व्यापक गुंजाइश है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने काजू प्रसंस्करण उद्योग की मदद करने के उद्देश्य से कच्चे काजू पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।

घरेलू मूल्य वर्द्धन एवं 'मेक इन इंडिया' को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने, इसके कुछ कलपुर्जों एवं सहायक सामान पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने तथा टीवी के कुछ विशेष कलपुर्जों पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। श्री जेटली ने कहा कि इस कदम से देश में और ज्यादा रोजगारों के सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल, इस कदम से आयातित उत्पादों की तुलना में घरेलू उत्पाद सस्ते हो जाएंगे और इसके परिणामस्वरूप मांग काफी बढ़ जाएगी, जिससे आम जनता के लिए और ज्यादा रोजगार अवसर सृजित होंगे।

****

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव

****

प्रथम वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति की आशा

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज 1 लाख रुपये से ज्यादा के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया, जिसके तहत किसी भी सूचीकरण का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी। आज यहां संसद में पेश किए गए आम बजट 2018-19 में श्री जेटली ने कहा कि 31 जनवरी, 2018 तक की समस्त प्राप्तियों को एकीकृत किया जाएगा। श्री जेटली ने आर्थिक विकास के लिए एक जीवंत शेयर बाजार की अहमियत को स्वीकार करते हुए श्री जेटली ने वर्तमान व्यवस्था में सिर्फ एक मामूली बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

वित्त मंत्री ने इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव किया है, ताकि विकास उन्मुख फंडों और लाभांश वितरक फंडों के लिए समान अवसर संभव हो सके। उन्होंने विस्तार से बताया कि प्राप्त धनराशि को एकीकृत करने को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत लाभ कर में इस बदलाव से प्रथम वर्ष यथा 2018-19 में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की सामान्य राजस्व प्राप्ति होगी। हालांकि, बाद के वर्षों में इससे प्राप्त होने वाला राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है।

वित्त मंत्री नें यह भी कहा कि वर्तमान समय में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी उन्मुख फंड की यूनिटों और किसी कारोबारी ट्रस्ट की यूनिट के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाला दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर मुक्त है। सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों और अब तक दिए गए प्रोत्साहनों की बदौलत इक्विटी बाजार में तेज़ उछाल देखी जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा, 'कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए दाखिल किए गए रिटर्नों से पता चला है कि सूचीबद्ध शेयरों और यूनिटों पर छूट प्राप्त पूंजीगत लाभ की कुल राशि

लगभग 3,67,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू गई है। इस लाभ का बड़ा हिस्सा कंपनियों और सीमित दायित्व वाली देनदारियों (एलएलपी) के खाते में गया है। इससे विनिर्माण के खिलाफ पूर्वाग्रह की स्थिति बनी है, जिस वजह से अब और ज्यादा कारोबारी अधिशेष राशि को वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जा रहा है। यहां तक कि कर छूट के बगैर भी इक्विटी में निवेश पर रिटर्न पहले ही अत्यंत आकर्षक हो गया है। यही कारण है कि सूचीबद्ध इक्विटी अथवा शेयरों पर होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को टैक्स के दायरे में लाना जरूरी हो गया है।'

****

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

एमएसएमई को ऋण एवं नवाचार के लिए 3794 करोड़ रूपये

**

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की नई पहल

**

वित्त मंत्रालय ने कहा, अध्ययन से पता चलता है कि इस साल 70 लाख औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित हुए

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय बजट 2018-19 में सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3794 करोड़ रूपये के प्रावधान की घोषणा करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि ऐसा इस क्षेत्र को ऋण समर्थन, पूंजी एवं ब्याज सब्सिडी और नवाचार के लिए किया गया है। संसद में आज केंद्रीय बजट 2018-19 को प्रस्तुत करते हुए श्री जेटली ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले 3 साल से रोजगार के अवसर सृजित करना और लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्रमुख नीति रही है। उन्होंने कहा कि हाल में एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चला है कि इस साल 70 लाख औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित हुए। श्री जेटली ने कहा कि सरकार अगले तीन साल तक सभी क्षेत्रों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नए कर्मचारियों के 12 फीसदी वेतन का योगदान जारी रखेगी। वित्त मंत्री ने सभी क्षेत्रों में सावधि रोजगार सुविधा में विस्तार का भी जिक्र किया। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के डूबते खातों और गैर-निष्पादित आस्तियों से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए उपायों की जल्द घोषणा करेगी।

एमएसएमई पर कर का बोझ घटाने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के एक प्रयास के तहत श्री जेटली ने उन कंपनियों को 25 फीसदी कम दर का लाभ देने की घोषणा की जिन्होंने वित्त वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक का कुल कारोबार दर्ज किया। वित्त मंत्री ने कहा, 'इससे पूरे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम वर्ग को फायदा मिलेगा जिसमें आयकर रिर्टन दाखिल करने वाली लगभग 99 फीसदी कंपनियां आती हैं।' उन्होंने विश्वास जताया कि 99 फीसदी के लिए कम कॉरपोरेट आयकर दर से कंपनियों के पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त रकम उपलब्ध होगी जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री श्री जेटली ने औपचारिक क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहन प्रदान कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। श्री जेटली ने कहा, 'कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 में संशोधन के जरिए पहले तीन साल के दौरान महिला कर्मचारियों का योगदान घटाकर 8 फीसदी करने का प्रस्ताव है जो फिलहाल 12 फीसदी अथवा 10 फीसदी है। जबकि नियोक्ता के योगदान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।'

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कार्यक्रम के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक कौशल केंद्र स्थापित करेगी। श्री जेटली ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कंपनियों को ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर लाने और उन्हें जीएसटीएन से लिंक करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा, ' एमएसएमई को दी जा रही ऑनलाइन ऋण मंजूरी सुविधा में संशोधन किया जाएगा ताकि बैंक जल्द निर्णय ले सके।'

श्री जेटली ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पुर्नवित्त पोषण को बेहतर बनाने के लिए एमयूडीआरए द्वारा स्थापित पात्रता मानदंड एवं पुर्नवित्त पोषण नीति की समीक्षा का उल्लेख किया। इस संदर्भ में उन्होंने 2018-19 के लिए एमयूडीआरए के तहत 3 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव दिया। पिछले सभी वर्षों के दौरान इन लक्ष्यों में वृद्धि की गई।

वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय के उस समूह का भी उल्लेख किया जो फिनटेक कंपनियों के विकास के लिए उपयुक्त माहौल सृजित करने के लिए जरूरी नीतिगत एवं संस्थागत विकास उपायों पर विचार कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वेंचर कैपिटल फंड के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और देश में वैकल्पिक निवेश के सफल संचालन के लिए अतिरिक्त उपाए किए जाएंगे।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-8

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

कृषि के फसल काटने के पश्चात कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन कर

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

कृषि में फसल काटने के पश्चात मूल्य संवर्धन में व्यवसायिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2018-19 में पांच वर्ष की अवधि के लिए सौ करोड़ रुपए तक के वार्षिक उत्पादन वाली कृषक उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों के अपने कार्यकलापों से होने वाले लाभ के संबंध में सौ प्रतिशत तक कटौती का प्रस्ताव दिया है। श्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2018-19 का सामान्य बजट प्रस्तुत करते हुए यह घोषणा की।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस समय उन सहकारी समितियों के लाभ के संबंध में सौ प्रतिशत की कटौती अनुमेय है जो प्राथमिक कृषि कार्यों में लगे अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में सहकारी समितियों की ही तर्ज पर बहुत सी कृषक उत्पादक कंपनियां स्थापित हुई हैं जो अपने सदस्यों को भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं। अत: श्री जेटली ने कहा कि ऐसे कर प्रोत्साहन से पूर्व में घोषित 'ऑपरेशन ग्रीन' अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा तथा संपदा योजना को बढ़ावा मिलेगा।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-09

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

सरकार संस्थानों के निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने के लिए सुधार प्रक्रिया जारी रखेगी

****

प्रत्येक उद्यम को एक अनूठा पहचान पत्र दिया जाएगा

****

सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों का विलय होगा

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पूरे देश में संस्थाओं के निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर ढंग से मुहैया कराने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। संसद में आज आम बजट 2018-19 प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार ने प्रत्येक भारतीय को एक पहचान दी है। बड़े या छोटे किसी भी उद्यम को भी एक अनूठी पहचान की जरूरत है। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार एक ऐसी योजना लाएगी, जिसके तहत भारत में प्रत्येक उद्यम को एक अनूठा पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम की पूंजी की पुनर्संरचना की जाएगी, ताकि समानता को बढ़ावा दिया जा सके और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए दीर्घावधि ऋण को बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ किए गए मैट्रो उद्यमों में भारत सरकार के योगदान में एकरुपता लाई जाएगी।

सरकार ने दो बीमा कंपनियों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के 14 केन्द्रीय उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। श्री जेटली ने कहा कि ओएनजीसी द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाईटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ऑरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – का विलय करके एक बीमा कंपनी बनाई जाएगी और फिर इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सोने के परिसंपत्ति मूल्य में वृद्धि करने के लिए सरकार एक समेकित स्वर्ण नीति का निर्माण करेगी। देश में स्वर्ण विनिमय को व्यापार और उपभोक्ता अनुकूल

बनाने के लिए सरकार एक प्रणाली विकसित करेगी। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के स्वर्ण जमा योजना के खाते खुलवा सकें।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-10

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

राजकोषीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय 24.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान

****

आगामी राजकोषीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी (सकल घरेलु उत्पाद) का 3.3 प्रतिशत होगा

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

2018-19 के दौरान कुल व्यय 24.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा 6 लाख 24 हजार 276 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसका वित्त पोषण ऋण लेकर किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 2018-19 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए आज कहा कि इस बजट से सरकार की कृषि, सामाजिक क्षेत्र, डिजिटल भुगतान, अवसंरचना तथा रोजगार सृजन में निवेश को पर्याप्त बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय समेकन के मार्ग पर प्रशस्त रहने की दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि संशोधित अनुमान (2017-18) से व्यय में 2,24,463 करोड़ की वृद्धि सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य संशोधित अनुमान 2017-18 से सकल घरेलु उत्पाद के राजकोषीय घाटे को 0.2 प्रतिशत कम करने का है। उन्होंने वर्ष 2018 के लिए सकल घरेलु उत्पाद के 3 प्रतिशत के राजस्व घाटे का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने कहा कि मौजूदा सरकार ने मई 2014 में उस समय कार्यभार सम्भाला था जब राजकोषीय घाटा बहुत उच्च स्तर पर था। 2013-14 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री और सरकार विवेकशील राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने को हमेशा उच्च प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार 2014 में लगातार राजकोषीय घाटा समेकन के पथ पर आगे बढ़ी है। राजकोषीय घाटा 2014-15 के 4.1 प्रतिशत से कम करके 2015-16 में 3.9 प्रतिशत तथा 2016-17 में 3.5 प्रतिशत पर लाया गया। 2017-18 में संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलु उत्पाद के 3.5 प्रतिशत पर 5.95 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने कहा कि संशोधित राजकोषीय मार्ग दर्शन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति असंदिग्ध विश्वसनीयता लाने के लिए ऋण नियम को अंगीकार करने और जीडीपी अनुपात की तुलना में केंद्रीय सरकार के ऋण को 40 प्रतिशत नीचे लाने से संबंधित राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्रमुख प्रचालनात्मक मानदण्ड के रूप में उपयोग करने की सिफारिश मान ली है। श्री जेटली ने बताया की आवश्यक संशोधन प्रस्ताव वित्त विधेयक में शामिल कर लिए गए हैं

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-11

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

बुनियादी क्षेत्र के आबंटन में 5.97 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि

****

परिवहन क्षेत्रों को अब तक का सबसे अधिक आबंटन किया गया

****

हवाई अड्डा क्षमता के विस्तार के लिए एनएबीएच निर्माण पहल की घोषणा

****

10 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा

****

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आबंटन को दोगुना किया गया, साइबर भौतिक प्रणालियों पर अभियान का शुभारंभ होगा

****

दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण और संवर्धन के लिए 10 हजार करोड़ रुपए

****

ऑनलाइन निगरानी प्रणाली 'प्रगति' ने 9.46 लाख करोड़ रुपए मूल्य की त्वरित बुनियादी परियोजनाओं में सहायता प्रदान की

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रमुख संवाहक की भूमिका की पहचान करते हुए, आम बजट 2018-19 में बुनियादी ढांचे के आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस क्षेत्र के लिए बजटीय और अतिरिक्त बजटीय व्ययों को 2017-18 के 4.94 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2018-19 में 5.97 करोड़ रुपए कर दिया है। 2018-19 में परिवहन क्षेत्र के लिए 1,34,572 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक आबंटन किया गया जबकि आपदा से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए 60 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया। इस आशय की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज संसद में आम बजट 2018-19 को पेश करते हुए की।

शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकार ने समग्र बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के माध्यम से 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 100

आदर्श स्मारकों का भी उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के अन्तर्गत किए गए कार्यों की सराहना करते हुए जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2.04 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 99 शहरों का चयन किया गया है। 2350 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है और 20,852 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

धरोहर शहरों को पुन: विकसित करने के लिए राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना को अंजाम दिया जा चुका है।

अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपए की राज्य स्तरीय योनजाओं को स्वीकृति दे दी गई है। 19,428 करोड़ रुपए मूल्य की 494 परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति अनुबंध और 12,429 करोड़ रुपए की लागत की 272 परियोजनाओं के लिए सीवर कार्यों के लिए अनुबंध प्रदान कर दिए गए हैं। 482 शहरों ने क्रेडिट रेटिंग प्रारंभ कर दी है और 144 शहरों को निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हो चुकी है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अलावा वित्तीय बुनियादी परियोजनाओं में मदद के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को मदद प्रदान करेगा।

सड़क क्षेत्र में हाल ही में स्वीकृत भारतमाला परियोजना का उद्देश्य प्रथम चरण में 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 35 हजार किलोमीटर राजमार्ग को विकसित करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विशेष उद्देश्य वाहनों और टोल, संचालन एवं स्थानांतरण (टीओटी) एवं बुनियादी निवेश कोष जैसे अभिनव ढांचों के उपयोग को अपनी सड़क परिसंपत्तियों में शामिल करने पर विचार करेगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों पर संपर्क में वृद्धि के क्रम में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार सेला पास के अंतर्गत सुरंग का निर्माण कराएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार सी-प्लेन गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करेगी।

नागर विमानन क्षेत्र में, बजट 2018-19 में हवाई अड्डा क्षमता में पांच गुना विस्तार के लिए एक वर्ष में एक बिलियन आवाजाही को नियंत्रित करने हेतु एक नवीन पहल नाभ निर्माण की घोषणा की गई है। इस विस्तार को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की दृढ़ बैलेंसशीट के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। घरेलू हवाई यात्री परिवहन में प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के माध्यम से देशभर में 56 हवाई अड्डों और 31 हैलीपैडों को जोड़ा जाएगा जहां अभी सेवाएं नहीं है। 16 हवाई अड्डों पर संचालन पहले से ही प्रारंभ किए जा चुके हैं।

डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आम बजट 2018-19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 3073 करोड़ रुपए के दोहरे आबंटन की घोषणा की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रोबोटिक्स, कृत्रिम गुप्तचर, डिजिटल बुनियादी ढांचे, व्यापक डाटा विश्लेषण और संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल के

लिए अनुसंधान हेतु उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना में सहायता के लिए साइबर भौतिक प्रणालियों पर एक अभियान का शुभारंभ करेगा।

दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार के लिए बजट 2018-19 में 10 हजार करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। सरकार ने 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों तक ब्राडबैंड सुविधा प्रदान करने के लिए 5 लाख वाई-फाई स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि भारत नेट परियोजना के प्रथम चरण में 20 करोड़ ग्रामीण भारतीयों को ब्राडबैंड सुविधा से समर्थ बना दिया गया है।

श्री जेटली ने यह भी घोषणा की कि नीति आयोग कृत्रिम गुप्तचर के क्षेत्र में सीधे प्रयासों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहल करेगा। उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के लाभ को प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग आईआईटी चेन्नई में एक स्वदेशी 5जी टेस्ट बैड की स्थापना में मदद प्रदान करेगा।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-12

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

फुटवियर और चमड़ा उद्योग को भी रोजगार सृजन में मदद के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत लाभ मिलेगा

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के अंतर्गत लाभ देने का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत वर्ष के दौरान न्यूनतम 240 दिनों तक रोजगार पाने वाले योग्य नए कर्मचारियों को मिलने वाले 100 प्रतिशत पारिश्रमिक में से सामान्य कटौती के अतिरिक्त 30 प्रतिशत वृद्धि की कटौती की अनुमति है। उन्होंने कहा कि हालांकि वस्त्र उद्योग में न्यूनतम रोजगार की अवधि में 150 दिनों तक की छूट है। वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि फुटवियर और चमड़ा उद्योग को भी न्यूनतम 150 दिनों की छूट मिलने से इस क्षेत्र में नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री जेटली ने 30 प्रतिशत कटौती को तार्किक बनाने के लिए ऐसे नए कर्मचारी को लाभ देने का प्रस्ताव किया जिसे पहले वर्ष के दौरान न्यूनतम अवधि से कम रोजगार मिला लेकिन आगामी वर्षों में उसे न्यूनतम अवधि का रोजगार प्राप्त हुआ।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-13

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

2017-18 की अवधि के दौरान विनिवेश के जरिए रिकार्ड एक लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है

****

बैंकों के नई पूंजी उपलब्ध कराने के कार्यक्रम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार दे सकेंगे

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

सरकार ने निधियां जुटाने एवं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के उपाय शुरू किए हैं। 2018-19 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में कहा कि सरकार ने 24 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें एअर इण्डिया का नीतिगत निजीकरण शामिल है।

निधियां जुटाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 14,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शुरू की गई एक्सचेंज ट्रेडिड फण्ड भारत-22 सभी भागों में ओवर सब्सक्राइब थी। इसी तरह विनिवेश के लिए 2017-18 के बजट अनुमान 72,500 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर पर अधिस्थिर थे तथा उनसे अनुमानित प्राप्तियां भी 2017-18 में लक्ष्य से कहीं अधिक 1 लाख करोड़ रुपये तक होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिए विनिवेश का लक्ष्य भी 80,000 करोड़ रुपये रखा है।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा बैंकों का नई पूंजी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम इस वर्ष जारी किए जा रहे 80 हजार करोड़ रुपये के बॉण्डों से शुरू किया गया है। इस नई पूंजी की उपलब्धता से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी उधार देने का मार्ग प्रशस्त होगा। सुदृढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ताकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी साख बढ़ा सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को अपनी इक्विटी अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। भारतीय डाकघर अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम एकीकृत किए जा रहे हैं तथा कुछ अतिरिक्त लोकोपयोगी उपाय शुरू किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक लिक्विडिटी के प्रबन्धन का माध्यम बनाने, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को गैर-रेहनीय जमा सुविधा के रूप में संस्थाकित करने हेतु संशोधित किया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 तथा डिपोजिट्रीज अधिनियम, 1996 को संशोधित किया जा रहा है ताकि विवाचन प्रक्रिया सुचारू बन सके और कुछ उल्लंघनों की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान हो सकें।

****

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में वृद्धि

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-2019 पेश करते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए 279 कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2016-17 के 34,334 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2017-18 में आवंटन को बढाकर 52,719 करोड़ रूपये किया गया। इसी तरह अनुसूचित जन-जातियों के लिए चल रहे 305 कार्यक्रमों के लिए 2016-17 में 21,811 करोड़ रूपये का आवंटन हुआ था जोकि वर्ष 2017-18 में बढाकर 32,508 करोड़ रूपये किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में इस राशि को और बढा दिया गया है और अनुसूचित जातियों के लिए 56,619 करोड़ रूपये और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 39,135 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-15

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गोबर-धन योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

खुले में शौच से गांवों को मुक्त करने तथा ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज अपने बजट भाषण में गोबर-धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन) योजना के शुभारंभ की घोषणा की। मंत्री महोदय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि अवसंरचना विकास, विपरीत सतह सफाई, ग्रामीण स्वच्छता आदि के लिए नमामि गंगे योजना के तहत 16,713 करोड़ रुपये की लागत से 187 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और शेष परियोजनाएं कार्यपालन के विभिन्न चरणों में हैं। गंगा नदी के किनारे बसे 4465 गंगा गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है।

समावेशी समाज निर्माण के विजन के तहत सरकार ने विकास के लिए 115 आकांक्षायुक्त जिलों की पहचान की है। इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय तक पहुंच आदि में निवेश करके निश्चित समयावधि में विकास की गति को तेज किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये 115 जिले विकास के मॉडल साबित होंगे।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-16

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत देश भर में 1.26 करोड़ से अधिक खाते खोले गए

**

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 5.22 करोड़ परिवार लाभान्वित

**

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज आम बजट 2018-19 को संसद में प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत महज 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपये के जीवन बीमा से 5.22 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 13 करोड़ 25 लाख लोगों को महज 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपये के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी गरीब परिवारों को इनके दायरे में लाने के लिए मिशन मोड में काम करेगी। सरकार सभी 60 करोड़ बुनियादी खातों को इसके दायरे में लाते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कवरेज का विस्तार करेगी। साथ ही, इन खातों के जरिए सूक्ष्म बीमा सेवा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना मुहैया कराने के लिए उपाए करेगी।

‘ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के तहत जनवरी, 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता योजना को अपार सफलता मिली। वित्त मंत्री ने कहा कि नवम्बर, 2017 तक देश भर में 1.26 करोड़ से अधिक लड़कियों के खाते खोले गए जिनमें 19,183 करोड़ रुपये जमा किए गए।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-17

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

रियल एस्टेट के लिए प्रोत्साहन : सर्किल रेट मूल्य कुल राशि के 5 फीसदी से अधिक न होने पर कोई समयोजन नहीं

**

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव दिया है कि उन मामलों में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा जहां सर्किल रेट का मूल्य कुल राशि के 5 फीसदी से अधिक न हो। संसद में आज आम बजट 2018-19 को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, ' वर्तमान में अचल संपत्ति के लेने-देन के संबंध में पूंजीगत लाभ, कारोबारी मुनाफा एवं अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर कर लगाते समय कुल राशि अथवा सर्किल रेट मूल्य, जो भी अधिक हो, पर विचार किया जाता है और अंतर को क्रेता एवं विक्रेता की आय मानी जाती है। कभी-कभी भूखंड की स्थिति एवं उसके आकार जैसे तमाम कारकों के कारण समान क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों के संदर्भ में यह अंतर दिख सकता है।'

इस प्रकार रियल एस्टेट लेन-देन को आसान बनाने के क्रम में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि उन मामलों में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा जहां सर्किल रेट का मूल्य कुल राशि के 5 फीसदी से अधिक न हो।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-18

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

वित्त मंत्री ने कहा, 'प्ले स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को समग्र रूप से ध्यान में रखा जाएगा'

******

अगले चार वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये की पहल

**

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि प्ले स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को समग्र रूप से ध्यान में रखा जाएगा। संसद में आज आम बजट 2018-19 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने शिक्षा में डिजिटल तीव्रता बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'सरकार धीरे-धीरे ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की ओर रुख करने का प्रस्ताव करती है।' वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिलावार रणनीति भी तैयार की जा रही है। प्रमुख शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान एवं संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने 'रीवाइटेलाइजिंग इन्फास्ट्रचर ऐंड सिस्टम्स इन एजुकेशन (आरआईएसई)' नाम से एक प्रमुख पहल शुरू करने की घोषणा की। श्री जेटली ने कहा कि अगले चार वर्षों के दौरान इस पर कुल 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने ' प्राइम मिनीस्टर्स रिसर्च फेलोज (पीएमआरएफ)' योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने इंगित किया कि हर साल प्रमुख संस्थानों से 1000 बेहतरीन बीटेक छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें आकर्षक फेलोशिप के साथ आईआईटी एवं आईआईएससी में पीएचडी करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सेवाकाल के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण की गंभीर प्रकृति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही।

वित्त मंत्री ने आदिवासी बच्चों को उनके खुद के वातावरण में अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता का उल्लेख किया। श्री जेटली ने कहा, 'इस मिशन को पूरा करने के लिए वर्ष 2022 तक

अनुसूचित जनजाति की 50 फीसदी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एकलव्य स्कूलों को नवोदय विद्यालय की तरह माना जाएगा और इन स्कूलों में खेल एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्थापित करने की पहल का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, 'हमने वड़ोदरा में एक विशेष रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।' उन्होंने कहा कि आईआईटी एवं एनआईटी संस्थानों में स्वायत्त स्कूल के तौर पर 18 नए स्कूल ऑफ प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर (एसपीए) भी स्थापित किए जाएंगे।

प्रत्येक परिवार के बुजुर्गों, विधवाओं, लावारिस बच्चों, दिव्यांगों एवं सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना द्वारा परिभाषित वंचित लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने वृहत सामाजिक संरक्षा एवं सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने का उल्लेख किया। उन्होंने इस साल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9975 करोड़ रुपये आबंटित करने की घोषणा की।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-19

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

नए भारत के लिए आयुष्मान भारत 2022 की घोषणा

****

स्वास्थ्य क्षेत्र में दो महत्तवपूर्ण पहलों की घोषणा

****

1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रो के लिए 1200 करोड़ रुपये का आवंटन

****

10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

सरकार ने आज आयुष्मान कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो महत्तवपूर्ण पहलों की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से समग्र रूप से निपटना हैं। इसके तहत प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
ये पहल निम्न हैं-

1. स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराएंगे। ये केंद्र आवश्यक दवाईयाँ और नैदानिक सेवा भी मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। इस महत्तवपर्ण कार्य के लिए 1200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों को अपनाने के लिए सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना- आयुष्मान भारत के तहत इन दुर्गामी पहलों के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिए एक फ्लेगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत द्वितीय और तृतीय देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रूपये प्रति वर्ष तक का कवरेज प्रदान

किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के सूचारू कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत ये दो स्वास्थ्य क्षेत्र की पहल नए भारत वर्ष 2022 का निर्माण करेंगी। और उनसे समबर्धित उत्पादकता, कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानी और दरिद्रता से बचा जा सकगा। इन योजनाओं से विशेष कर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। इस कदम से सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी चिकित्सा कॉलेज उपलब्ध हो।

****

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

आम बजट 2018-19 में कर-राहत से 99 प्रतिशत छोटे उद्यमों को फायदा होगा

****

कर-राहत से सरकार को 7000 करोड़ रुपये की राजस्व-हानि

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने उन कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत के घटे हुए दर का प्रस्ताव किया है, जिनका वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है। यह सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों के पूरे संवर्ग को फायदा पहुंचाएगा। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाली 99 प्रतिशत कंपनियां इसी संवर्ग में आती हैं। इस निर्णय से सरकार को वित्त वर्ष 2018-19 में 7000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी। इसे स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री ने आज संसद में कहा, 'चरणबद्ध तरीके से कॉरपोरेट टैक्स में कमी लाने के मेरे वायदे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है'। कॉरपोरेट टैक्स की निम्न दर से 99 प्रतिशत कंपनियों को फायदा होगा। उनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त धन होगा। इससे रोजगार के नये मौके बनेंगे।

वित्त मंत्री ने आम बजट 2017 को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को कम करके 25 प्रतिशत तक लाने की घोषणा की थी। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाली कुल कंपनियों में से 96 प्रतिशत कंपनियों को इससे फायदा हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि इस निर्णय के पश्चात रिटर्न दाखिल करने वाली कुल 7 लाख कंपनियों में से 7000 कंपनियां ऐसी होंगी, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक होगा और वे 30 प्रतिशत के कर दायरे में आएंगी।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-21

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाया जाएगा

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आयातित वस्तुओँ पर से शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर हटाने और इनके स्थान पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का प्रस्ताव रखा है। आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए श्री जेटली ने बताया कि आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार कुल सीमा शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा और इससे सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि मुहैया कराने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जिन आयातित वस्तुओं पर अब तक शिक्षा उपकर नहीं लगता था उन पर यह अधिभार भी नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ विशिष्ट वस्तुओं (जिनका उल्लेख बजट भाषण के अनुलग्नक 6 में किया गया है) पर प्रस्तावित अधिभार कुल सीमा शुल्क के सिर्फ 3 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-22

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे का पूंजीगत व्यय 1,48,528 करोड़ रुपये

**

2018-19 के दौरान पहले आधुनिक ट्रेन-सेट चालू होंगे।

**

मुंबई और बेंगलूरु रेल नेटवर्क में विस्तार

**

हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए श्रमबल को प्रशिक्षित करने के लिए वड़ोदरा में संस्थान

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

देश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने पर सरकार के जोर को ध्यान में रखते हुए आम बजट 2018-19 ने इस मंत्रालय के लिए आबंटन में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 को प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे के पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 1,48,528 करोड़ रुपये किया गया है। इसका एक बड़ा हिस्सा क्षमता सृजन पर खर्च किया जाए। 18000 किलोमीटर के दोहरीकरण/तीसरी/चौथी लाइन के निर्माण कार्य और 5000 किलोमीटर के गेज परिवर्तन से क्षमता में वृद्धि होगी और लगभग समूचे नेटवर्क को ब्राड गेज में बदल दिया जाएगा। श्री जेटली ने कहा कि 2017-18 के दौरान विद्युतीकरण के लिए 4000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क चालू हो जाएगा।

वित्त मंत्री श्री जेटली ने 2018-19 के दौरान 12000 वैगन, 5160 कोच और लगभग 700 लोकोमोटिव की खरीदारी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्वी एवं पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के काम तेजी से संपन्न किए जाएंगे। माल शेडों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने और निजी साइडिंग के फास्ट ट्रेक कार्य शुरू करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है।

श्री जेटली ने आश्वस्त किया कि फाग सेफ तथा 'ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम' जैसी प्रौदोयोगिकी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा। अगले दो वर्षों में 4267 मानवरहित लेवल क्रासिंग को समाप्त कर उन्हें बीजी नेटवर्क में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुन: विकसित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। 25 हजार से अधिक आगंतुक वाले सभी स्टेशनों में एस्क्लेटर लगाए जाएंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सीसीटीवी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यात्रियों की संरक्षा बढ़ाई जा सके।

वित्त मंत्री ने सूचित किया है कि मुंबई की परिवहन प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है और 11,000 करोड़ रुपये की लागत से 90 कि.मी. दोहरी पटरियां जोड़ी जा रही हैं। लगभग 40000 करोड़ रुपये की लागत से 150 किलोमीटर अतिरिक्त उपनगरीय नेटवर्क योजना बनाई जा रही है जिसमें कुछ खंडों में ऊंचे उठे हुए गलियारे शामिल है। बेंगलुरु में महानगरीय विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 17000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से करीब 160 किलोमीटर के उपनगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है। भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला 14 सितम्बर, 2017 को रखी गई। हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए आवश्यक श्रमबल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ोदरा में एक संस्थान की स्थापना की जा रही है।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-23

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) एक चौथाई वित्त पोषण बॉण्ड बाजार से जुटाने के लिए निकायों को आदेश देने पर विचार करेगा

****

सरकार वित्तीय प्रतिभूति लेनदेन पर स्टेम्प शुल्क व्यवस्था में सुधार लाएगी

****

भारत में आईएफएससीएस की सभी वित्तीय सेवाओं के विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करना

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि उनका मंत्रालय नीतिगत तथा व्यापक सामाजिक लाभ के दृष्टिकोण से शिक्षण तथा स्वास्थ्य असंरचना में निवेश सहित बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद के लिए भारतीय अवसरंचना वित्त निगम (आईआईएफसीएल) को सशक्त बनाएगा। श्री जेटली ने आज संसद में 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आगे कहा कि सरकार तथा विनियामकों ने भारत में इनफ्रास्टक्चर इनवेस्टमेन ट्रस्ट (इन्वआईटी) तथा रियल इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्ट (रिआईटीज) जैसी संस्थाओं की मौद्रिक अभिवृद्धि के लिए आवश्यक उपाय किए है। सरकार अगले वर्ष से इन्वआईटीज का उपयोग कर चुनिंदा सीपीएसई सम्पदाओं का मौद्रिकरण शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बॉण्ड बाजार से धन जुटाने के लिए निकायों (कॉर्पोरेट्स) पर दबाव बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। सेबी भी आदेश जारी करने पर विचार करेगा जिसकी शुरूआत बड़े निकायों से होगी ताकि वे अपनी जरूरत के लगभग एक चौथाई का वित्त पोषण बॉण्ड बाजार से कर सके।

भारत में अधिकांश विनिमायक निवेश के लिए पात्र के रूप में केवल 'ए-ए' रेटिंग वाले बॉण्ड की अनुमति देते है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि अब 'ए-ए' से 'ए' ग्रेड रेटिंग पर आने का समय आ

गया है। सरकार तथा सम्बन्धित विनियामक इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि सरकार राज्यों के साथ परामर्श करके वित्तीय प्रतिभूति लेन-देन पर स्टेम्प शुल्क व्यवस्था संबंधी सुधार के उपाय करेगी तथा भारतीय स्टेम्प शुल्क अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी। सरकार भारत में आईएफएससी की सभी वित्तीय सेवाओं के नियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करेगी।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-24

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

सरकार ने किसानों, गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों के लाभ हेतु विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया

****

मजबूत बुनियादी सुधारों की श्रृंखला मध्यम और दीर्घकालीन अवधि में दृढ़ वृद्धि को प्राप्त करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सहायक बन रही है।

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राजनीतिक लाभ-हानि पर ध्यान दिए बिना हर क्षेत्र में गंभीरता से कार्य किए हैं। लोकसभा में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने देश में किसानों, गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों को लाभ देने और अविकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है।

सरकार उज्जवला योजना के माध्यम से देश के गरीबों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कर रही है। सौभाग्य योजना के माध्यम से चार करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। तीन हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाईयां कम मूल्य पर बेची जा रही हैं। स्टैंट की कीमत नियंत्रित की गई है गरीबों के लिए नि:शुल्क डायलिसिस हेतु विशेष योजना शुरू की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग को आवास योनजाओं में भी ब्याजदर में बड़ी राहत दी जा रही है। सरकारी सेवाएं चाहे बस या ट्रेन टिकट या सभी को ऑनलाइन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। दो से तीन दिन के भीतर घर पर पासपोर्ट, एक दिन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन जैसे लाभ देश में बड़े वर्ग को दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने की बाध्यता खत्म कर दी और समूह 'ग' और 'घ' नौकरी में साक्षात्कार समाप्त करने से लाखों नौजवानों को समय और पैसे की बचत हुई है। सरकार हर व्यक्ति को उपयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री जेटली ने कहा कि चार वर्ष पूर्व वर्तमान सरकार ने एक ईमानदार स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देने की शपथ ली थी। सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए कड़े

फैसले लेने में सक्षम नेतृत्व का भरोसा दिलाया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबी को समाप्त करने बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने के साथ-साथ एक दृढ़, आत्म विश्वास से परिपूर्ण नवीन भारत के निर्माण का संकल्प लिया था।

उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे के सुधारों की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक कार्यांवित किया है। माल और सेवाकर (जीएसीट) सहित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बना दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से गरीबों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य और प्रभावी हुआ है। उच्च मूल्य की मुद्रा के विमुद्रीकरण से संचालन में नकदी मुद्रा की मात्रा कम हुई है। इससे कराधान आधार और अर्थव्यवस्था को और अधिक डिजिटल बनाने में मदद मिली है।

वित्त मंत्री ने कहा कि शोधन अक्षमता और दिवालियापन कोड को लागू किए जाने से ऋणी-ऋणदाताओं के बीच संबंध बदला है। बैंकों के पुन: पूंजीकरण से बैंक अब विकास की गति को सहायता प्रदान करने में अधिक सक्षम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी संरचनात्मक सुधारों से मध्यम और दीर्घावधि में भारतीय अर्थव्यवथा को लंबे समय तक टिकाऊ सुदृढ़ विकास गति को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने हाल ही में भारत के लिए अगले वर्ष में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।

****

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

वेतनभोगी कर दाताओं को राहत : वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती

****

2.5 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ प्राप्त होगा

****

दिव्यांगजनों को मिलने वाला परिवहन भत्ता बढ़े दर पर मिलना जारी रहेगा

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

वेतनभोगी कर दाताओं को राहत देने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि परिवहन भत्ता और विविध चिकित्सा व्ययों के संदर्भ में वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि दिव्यांगजनों को बढ़े दर पर मिलने वाला परिवहन भत्ता जारी रहेगा।

संसद में आज आम बजट 2018-19 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मानक कटौती से पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, जो सामान्यतया परिवहन और चिकित्सा व्यय के कारण भत्ते का लाभ नहीं ले पाते। इस निर्णय की राजस्व लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। इस निर्णय से लाभांवित होने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 2.5 करोड़ है।

श्री जेटली ने कहा, 'सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर की दरों में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत आय कर के दर-ढांचे में किसी और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूं। समाज में एक सामान्य विचार व्याप्त रहा है कि वेतनभोगी वर्ग की तुलना में व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आय बेहतर होती है।'

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-26

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

किसानों की आय दोगुनी करना : सरकार ने अब तक अघोषित सभी खरीफ फसलों के लिए उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी तय करने की घोषणा की

****

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण को वर्ष 2017-18 के 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की

****

जल्द नष्ट होने वाली जिन्सों जैसे कि आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपये के 'ऑपरेशन ग्रीन्स' की घोषणा, इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही लाभान्वित होंगे

****

अत्यंत विशिष्ट औषध एवं सुगंधित पौधों की संगठित खेती तथा संबंधित उद्योग की सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन

****

22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि किसान सीधे उपभोक्ताओं और व्यापक खरीदारी करने वालों को अपनी उपज की बिक्री कर सकें

****

22,000 ग्रामों और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास एवं उन्नयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा

****

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आवंटन को दोगुना कर 1,400 करोड़ रुपये किया गया, सरकार विशिष्ट कृषि-प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देगी

****

किसान क्रेडिट कार्डों की सुविधा अब मत्स्य पालन एवं पशु पालन करने वाले किसानों को भी दी जाएगी, ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, दो क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा

****

बांस क्षेत्र को समग्र रूप से प्रोत्साहित करने के लिए 1290 करोड़ रुपये के पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की घोषणा

****

वायु प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की सहायता करने और खेत में ही फसल अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने हेतु विशेष योजना क्रियान्वित की जाएगी

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आजादी के 75वें साल में अर्थात वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का आह्वान किया है। मंत्री महोदय ने बजट 2018-19 में कृषि क्षेत्र के लिए अनेक नई पहलों की घोषणा करते हुए कहा, 'हम किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। हम कृषि को एक उद्यम मानते हैं और किसानों की मदद करना चाहते हैं, ताकि वे कम खर्च करके समान भूमि पर कहीं ज्यादा उपज सुनिश्चित कर सकें और उसके साथ ही अपनी उपज की बेहतर कीमतें भी प्राप्त कर सकें।'

श्री जेटली ने यह घोषणा करते हुए काफी प्रसन्नता जाहिर की कि सरकार ने अब तक अघोषित सभी खरीफ फसलों के लिए उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय करने का निर्णय लिया है। मंत्री महोदय ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशविरा कर नीति आयोग एक अचूक व्यवस्था कायम करेगा, जिससे कि किसानों को उनकी उपज की पर्याप्त कीमत मिल सके।

एक अहम कदम के रूप में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण को वर्ष 2017-18 के 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की। सरकार के विज़न को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2018-19 में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'ऑपरेशन ग्रीन्स' लांच करने की घोषणा की, ताकि जल्द नष्ट होने वाली जिन्सों जैसे कि आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटा जा सके। 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर शुरू किया गया 'ऑपरेशन ग्रीन्स' इस क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और प्रोफेशनल प्रबंधन को बढ़ावा देगा। श्री जेटली ने 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को होने वाले लाभों के संदर्भ में पांच वर्षों की अवधि तक 100 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2018-19 से होगी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में कटाई उपरांत मूल्य संवर्द्धन में प्रोफेशनल नजरिए को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, श्री जेटली ने यह जानकारी दी कि सरकार ने बड़े पैमाने पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। बड़े क्लस्टरों, विशेषकर प्रत्येक 1000 हेक्टेयर में फैले क्लस्टरों में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्रामीण उत्पादक संगठनों (वीपीओ) में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत क्लस्टरों में जैविक खेती करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि अत्यंत विशिष्ट औषध एवं सुगंधित पौधों की संगठित खेती में सहायता करने और इत्र, आवश्यक तेलों तथा अन्य संबंधित उत्पादों का उत्पादन करने वाले छोटे एवं कुटीर उद्योगों की मदद करने के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में 86 प्रतिशत से भी अधिक छोटे एवं सीमांत किसान हैं जो सीधे एपीएमसी और अन्य थोक बाजारों में लेन-देन करने की स्थिति में हमेशा नहीं होते हैं। इन 'ग्रामों' में मनरेगा तथा अन्य सरकारी योजनाओँ का उपयोग करके भौतिक बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ई-नाम से जोड़ा जाएगा तथा एपीएमसी के नियमन के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि इससे किसान सीधे उपभोक्ताओँ और व्यापक खरीदारी करने वालों को अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे।

श्री जेटली ने कहा कि पिछले बजट में सरकार ने ई-नाम को मजबूत करने और 585 एपीएमसी में ई-नाम की कवरेज बढ़ाने की घोषणा की थी। इनमें से 470 एपीएमसी को ई-नाम नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और शेष एपीएमसी को मार्च 2018 तक इससे जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन से संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि वाला कृषि-बाजार ढांचागत कोष बनाया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन को वर्ष 2017-18 के 715 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से दोगुना कर वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 1400 करोड़ रुपये करने की घोषणा करते हुए श्री

जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देने वाला हमारा प्रमुख कार्यक्रम है और यह क्षेत्र औसतन 8 प्रतिशत सालाना की दर से आगे बढ़ रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर सरकार इस क्षेत्र में विशिष्ट कृषि-प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी और सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करेगी।

मत्स्य पालन एवं पशुपालन क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों की पूर्ति में मदद के लिए एक प्रमुख कदम की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) की सुविधा इस क्षेत्र को भी देने की बात कही। इससे पशु, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी एवं मत्स्य पालन के लिए फसल ऋण और ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जो अब तक केसीसी के तहत केवल कृषि क्षेत्र को ही उपलब्ध था। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि बुनियादी ढांचागत विकास कोष (एफएआईडीएफ) और पशुपालन क्षेत्र की ढांचागत जरूरतों के वित्तपोषण के लिए पशुपालन बुनियादी ढांचागत विकास कोष (एएचआईडीएफ) बनाने की भी घोषणा की।

श्री जेटली ने बांस को 'हरित सोना' की संज्ञा देते हुए 1290 करोड़ रुपये के पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन लांच करने की घोषणा की, जो पूर्ण बांस मूल्य श्रृंखला के मार्ग की बाधाएं दूर करने और समग्र रूप से बांस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर से जुड़ी अवधारणा पर आधारित है। बांस उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने, संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए सुविधाओं के सृजन, एमएसएमई, कौशल निर्माण और ब्रांड निर्माण पर फोकस होने की बदौलत यह घोषणा किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल एवं अकुशल युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने में अहम योगदान देगी।

श्री जेटली ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों के प्रयासों में आवश्यक मदद देने और खेत में ही फसल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए एक विशेष योजना क्रियान्वित की जाएगी।

****

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

राज्यों के जरिए लागू किए जा रहे 372 विशिष्ट व्यापार सुधार कार्य

**

एकल खिड़की ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में नेशनल लॉजिस्टक्स पोर्टल तैयार किया जाएगा

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

सरकार देश में कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 को प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण के साथ हमेशा सुशासन पर जोर दिया है। इस दृष्टि ने सरकारी एजेंसियों को नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं में सैकड़ों सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। इस बदलाव की झलक विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में पिछले तीन साल के दौरान भारत के 42 पायदान सुधार के साथ पहली बार शीर्ष 100 की जमात में शामिल होने में मिलती है।

वित्त मंत्री ने भारत के प्रत्येक राज्य में कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने और उसे बेहतर बनाने के लिए कारोबारी सुधार करने के लिए कहा है। भारत सरकार ने 372 विशिष्ट कारोबार सुधार कार्यों की पहचान की है। सभी राज्य एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा के साथ मिशन मोड में इन सुधारों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन का मूल्यांकन अब उपयोगकर्ताओं की प्रतिपुष्टि पर आधारित होगा।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वाणिज्य विभाग सभी हितधारकों को जोड़ने के लिए एक एकल खिड़की ऑनलाइन मार्केटप्लेस के तौर पर नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल विकसित करेगा।

श्री जेटली ने कहा कि सरकार केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में ई-ऑफिस और अन्य ई-शासन को लागू करते हुए अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव कर रही है। लेखामहानियंत्रक की निगरानी में एक वेब आधारित सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीआईएफएमआईएस) शुरू की गई है ताकि बजट बनाने, लेखांकन, व्यय एवं नकदी प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर खरीद संबंधी सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इस प्लेटफॉर्म पर करीब 3.5 लाख ठेकेदार और वेंडर पंजीकृत हैं।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-28

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और जीविका के साधनों के सृजन के लिए वर्ष 2018-19 में 14.34 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे

****

कृषि क्षेत्र में पिछड़े 96 जिलों में सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2600 करोड़ रुपये का आबंटन

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए घोषणा कि की देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के साधन, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर सरकार और अधिक धन राशि खर्च करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए मंत्रालयों द्वारा 14.34 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 11.98 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय और गैर-बजटीय संसाधन शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि खेती से जुड़े कार्यकलापों और स्व-रोजगार के कारण रोजगार के अलावा, इस खर्च से 321 करोड़ मानव दिवस के रोजगार, 3.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों, 51 लाख नए ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का सृजन होगा। उन्होंने बताया कि इससे कृषि को प्रोत्साहन मिलने के अलावा 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे।

प्रधानमंत्री कृषि योजना- हर खेत को पानी के अंतर्गत भू-जल सिंचाई योजना को मजबूत बनाने के लिए यह सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरू होगी इसके लिए 2600 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि महिलाओं की स्व-सहायता समूह को ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपये किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को आशा है कि मार्च 2019 तक स्व-सहायता समूहों की ऋण राशि बढ़ाकर 75,000 करोड़ रूपये कर दी जाएगी। 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के आबंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 5750 करोड़ रूपये किया गया है।

****

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के लिए कर रियायत

****

अनिवासियों द्वारा डेरिवेटिव और कुछ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ से राहत

****

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कार्य करने वाले गैर-कॉरपोरेट कर प्रदाताओं पर 9 प्रतिशत का रियायती कर लगेगा

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में स्थित स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आईएफएससी के लिए दो अन्य रियायतों का प्रस्ताव दिया है। संसद में आज आम बजट 2018-19 पेश करते हुए श्री जेटली ने अनिवासियों द्वारा डेरिवेटिव और कुछ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ में रियायत की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कार्य करने वाले गैर-कॉरपोरेट कर प्रदाताओं पर 9 प्रतिशत का वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) लगेगा, जो कॉरपोरेट पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के समान होगा।

सरकार ने भारत में विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विकसित करने का प्रयास किया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कई टैक्स रियायतों की घोषणा की है।

****

आम बजट 2018-19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

वरिष्ठ नागरिकों को राहत : जमा योजनाओं से होने वाली आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई

****

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मार्च 2020 तक जारी रहेगी

****

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत निवेश की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया

****

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2018

12 माघ, 1939

वरिष्ठ नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय वित्य एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण रियायतों की घोषणा की है।

संसद में आज आम बजट 2018-19 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय में छूट 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई है तथा आयकर धारा 194ए के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। यह लाभ सावधि जमा योजनाओं तथा आवर्ती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए भी उपलब्ध होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि धारा 80 डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या किसी चिकित्सा के संदर्भ में 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।

वित्त मंत्री ने धारा 80डीडीबी के अंतर्गत गंभीर बीमारी से संदर्भ में चिकित्सा खर्च के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60 हजार रुपए से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80 हजार रुपए से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख रुपए का प्रस्ताव किया।

इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।

टैक्स रियायतों के अतिरिक्त वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 8 प्रतिशत निश्चित प्रतिलाभ

प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपए की मौजूदा निवेश सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जा रहा है।

****

डीएसएम/वीके/एएम/आरआरएस/एसकेसी/बीपीएस/पीकेए/जेएस/जेके/एसकेएस/डी/आरके/एसएस/एसके/एमबी/एमएस/सीएल/सीपी/एके-31